न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—113/2020 (2020/00204) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मिश्रीदास पुत्र भूरदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मीठूदास पुत्र शंकरदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भंवरदास पुत्र शंकरदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—कोयली पत्नि शंकरदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—कंचनदेवी पुत्री शंकरदास पत्नि धर्मानाथ जोगी नि.कामाता तहसील देवगढ़ जि.राजसंमद
6—श्यामुदेवी पुत्री शंकरदास पत्नि काननाथ जोगी निवासी फाकोलिया तहसील करेड़ा
7—हेमदास पुत्र मोहनदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—जगदीशदास पुत्र मोहनदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—कैलाशदास पुत्र मोहनदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—सुखी पुत्री मोहनदास पत्नि प्रेमनाथ जोगी निवासी रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
11—सायरी पुत्री मोहनदास पत्नि नाथुनाथ जोगी नि. मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—सीता पुत्री मोहनदास पत्नि भाउनाथ जोगी निवासी जिती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—भैरवी पुत्री मोहनदास पत्नि समुन्दनाथ जोगी नि.खोखला तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—देवदास उर्फ देवानाथ पुत्र छोगादास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सुरेशचन्द्र पुत्र धर्मचन्द देशसरिया (जैन) निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. लोकेश सिंह चारण — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः—25.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डी पटवार मण्डल बागड़ तहसील रायपुर के खाता संख्या 17 में दर्ज आराजी संख्या 22 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 23 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 133 रकबा 0.26 है0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.62 है0, उक्त [illegible] में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 18 में दर्ज आरा[illegible] 490/37 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 492/37 रकबा 2.20 है0, आ[illegible] 497/[illegible] रकबा 0.45 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.19 है0 मे से आराजी सं[illegible] विपक्षी संख्[illegible] के नाम व आराजी संख्या 492/37 विपक्षी संख्या 2 के नाम द[illegible] रेकार्ड है। इसी प्रका[illegible]जी संख्या 129 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आचा मे से 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 व 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वज जेतादास के 2 पुत्र मोतीदास व भूरादास हुए जिसमे मोतीदास, जेतादास के जीवनकाल मे ही संवत 1976 में वरदादास उर्फ वरदानाथ निवासी आयत्री तहसील गढ़बोर जिला राजसंमद के गोद चला गया जिससे सभी प्रार्थीगण के पूर्वज जेतादास के पुत्र मोतीदास गोद चले जाने का उल्लेख बड़वा की पोथी में स्पष्ट रूप से हो रखा है। इस कारण विपक्षी संख्या संख्या 1 का उक्त आराजियात पर कोई हक हिस्सा नही है। जेतादास की मृत्यु उपरान्त उक्त कृषि आराजियात प्रार्थीगण के नाम दर्ज होनी चाहिये क्योंकि विपक्षी के पूर्वज गोद चले गये है उक्त कृषि आराजियात को राजस्व कर्मचारियो ने जेतादास की मृत्यु उपरान्त बिना वास्तविक स्थिति व सजरे के विपक्षी संख्या 1 के पूर्वज के नाम दर्ज कर दिया। इसी प्रकार वर्तमान आराजी संख्या 490/37, 492/37, 497/37 एवं आराजी संख्या 129 गै.मु. आचा को भी विरासत से खोले गये इन्तकाल में विपक्षी संख्या 1 के पूर्वज में नाम 1/3 हिस्सा से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिये गये जो आरम्भ से ही शुन्य, अवैध एवं निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती करा उक्त आराजियात को स्वयं के नाम दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के विधिक अधिकारी है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि उनके नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण को बेदखल करने व भूमि को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। मोतीदास की मृत्यु होने पर विपक्षी के नाम दर्ज हो गया और विपक्षी 1 ने उनके नाम गलत तौर पर दर्ज होने से उक्त आराजियात मे से आराजी संख्या 492/37 रकबा 2.20 है0 विपक्षी संख्या 2 को जरिये पंजीकृत विक्रय प्रलेख से विक्रय कर दी जो कि आरम्भ से ही शुन्य, अवैध एवं निष्प्रभावी है। विपक्षीगण उक्त इन्द्राज व विक्रयपत्र की आड़ में प्रार्थीगण को वादग्रस्त आरायिजात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल करने पर आमादा है व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट न तो स्वयं प्रकट करे व न किसी अन्य से करावे उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द नही करे व विपक्षी संख्या 4 के यहां विपक्षीगण द्वारा रहन, विक्रय, हस्तान्तरण द्वारा सम्बंधी दस्तावेज पेश करने पर उसका पंजीयन नही करे व विपक्षी संख्या 3 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नही करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 03.09.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब के अंकन किया कि उक्त वर्णित भूमियां विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है, स्वीकार है। जेतादास का पुत्र मोतीनाथ कभी भी गोद नही गया है न ही ऐसा कोई रस्म [illegible] विपक्षी संख्या 1 को बरदादास का गोद पुत्र गलत रूप से दर्शाया गया है। मोतीदास के [illegible] बरदादास की कोई भूमियां दर्ज नही हुई है और केवल महादेवजी की [illegible] करने से [illegible] की भूमियां है जिसमें पुजारी की हैसियत से उनका नाम दर्ज है। मोतीदास भी जेतादास का पुत्र होकर बराबर हिस्से का हकदार है। राव की पोथी में ऐसा कोई अंकन नही है [illegible] न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के पास मे है। उक्त वर्णित भूमियां पुश्तैनी होने से विपक्षी संख्या 1 का पूर्ण हक एवं अधिकार निहित है जिससे उन्होने विपक्षी संख्या 2 को भूमियां विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested

है इसलिये विपक्षी संख्या 2 का भी हक एवं अधिकार निहित है। मोतीदास गोद नही जाकर केवल महादेव जी की सेवा पूजा के लिये गये थे जो उनकी आय का स्त्रोत है और उनकी आजिविका है जिससे बतौर पुजारी का नाम दर्ज हुआ है। विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया है कोई गलत फायदा नही उठाया गया है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि गोद पुत्र मानकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और गोद पुत्र के लिये रजिस्टर्ड गोद नामा होना कानूनन आवश्यक है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही किया है। रजिस्टर्ड गोद नामे के अभाव में सिविल न्यायालय द्वारा गोद पुत्र घोषित करने की दाद जब तक प्रार्थीगण प्राप्त नही कर लेते तब तक वाद चलने योग्य नही है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित करवाया उसको शुन्य व निष्प्रभावी की दाद भी चाही है जो इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त नही होकर सिविल न्यायालय कानूनन प्रदत्त की जा सकती है। विपक्षी संख्या 1 विरासत एवं सहमति से विभाजन के आधार पर वादग्रस्त भूमियों का तन्हा खातेदार बना है और वह बतौर खातेदार भूमियो पर काबिज है प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमियों पर कोई कब्जा नही है और रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य कथन किया किया कि मोतीदास करीब 100 वर्ष पहले गोद चला गया और जहां गोद गया वहां उसकी वल्दीयत के रूप मे गोदी पिता का नाम दर्ज है। विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का है विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में अकिंत किया कि सहमति से बंटवारा कराया जो गलत है चुंकि जमीन नापने के नाम पर हस्ताक्षर कराये जो हस्ताक्षर किये गावं के लोग कम समझते है। श्रीमान के क्षेत्राधिकार का मामला है।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि संवत 1976 में गोद जाना बताया जो गलत है प्रार्थी की ओर कोई गोदनामा प्रस्तावित नही किया गोद का अधिकार सिविल कोर्ट का है ओर सहमति से प्रार्थीगण ने विभाजन कराया है और विभाजन को चुनौति नही दी गई है। मिश्रीदास ने अपनी जमीन बेची उसमें देवदास के गवाह के रूप में हस्ताक्षर है। केता द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि को क्रय की है रजिस्ट्री निरस्त कराना चाहिये जो नही कराई है और अपने जवाब के समर्थन में आरआरटी 2018 (1) पेज 692 पेश की जिसमें खातेदार के विरूद्व स्टे जारी नही किया जा सकता है। आरआरटी 2020 (2) पेज 1088, आरआरटी 2018 (1) पेज 172 रितीरिवाज के आधार पर गोद पुत्र घोषित नही है इसके साथ ही प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] में उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर [illegible] विचार [illegible] पर पाया कि प्रार्थीगणो एवं विपक्षी संख्या 1 के मूल पुरूष जेतादास [illegible] दास एवं भुरदास हुए और मोतीदास को प्रार्थीगण द्वारा ग्राम आतरी तहसील [illegible] जिला राजसंमद गोद जाना अकिंत किया है और इसी आधार पर विपक्षी 1 के पिता मोतीदास के पिता का नाम ग्राम आतरी के जमाबन्दी संवत 2008 में मातीनाथ वल्द बरदानाथ का नाम दर्ज है और इसी मोतीनाथ को

विपक्षी द्वारा भी स्वीकार करते हुए जवाब में यह अकिंत किया कि वह महादेय जी के स्थान की पूजा करता है इसलिये उसका नाम पुजारी के रूप में दर्ज है। इस प्रकरण में प्रश्न पुजारी का नही है प्रार्थीगण का कथन है कि जेतादास का पुत्र मोतीदास श्री बरदानाथ के गोद चला गया इसलिये उसकी वल्दीयत ग्राम आतरी की जमाबन्दी में मूल पिता जेतादास के बजाय गोदी पिता बरदानाथ का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है इससे प्रार्थीगण के कथन को बल मिलता है और इसी के साथ प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 23.08.1995 को पक्षकारो के मध्य हुई आपसी लिखापढ़ी की प्रति पेश की गई जिससे भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि विपक्षी संख्या 1 के पूर्वज गोद चले गये है। तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षी 1 के पूर्वज गोद जाना या नही जाना मूलवाद में साक्ष्य व सबुत के आधार पर तय होना है तब तक आगे भूमि खुर्द बुर्द ना हो इसके लिये भूमि सरक्षंण एवं सुरक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि पक्षकारो के मध्य आपस में विवाद नही हो। उपरोक्त विवरण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम मण्डी पटवार मण्डल बागड़ तहसील रायपुर के खाता संख्या 17 में दर्ज आराजी संख्या 22 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 23 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 133 रकबा 0.26 है0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.62 है0 भूमि इसी प्रकार खाता संख्या 18 में दर्ज आराजी नम्बर 490/37 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 492/37 रकबा 2.20 है0, आराजी संख्या 497/37 रकबा 0.45 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.19 है0 भूमि इसी प्रकार आराजी संख्या 129 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आचा भूमि को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द नही करे एवं मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25-02-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested